

# Order Sheet

Case No. 13438/17

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20/1/17	<p>आवेदक/आरोपी <u>हज्जोबाई</u></p> <p>की ओर से श्री <u>B.S. Yashwanth</u></p> <p>अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया ।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे ।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे ।</p> <p>प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक <u>21/1/17</u> को पेश हो ।</p>	
21/01/2017 11:30 to 11:45 A.M	<p>आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान खां द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता ।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>थाना गोहद के अपराध क्रमांक-376/2016 धारा-394, 459 भादवि0 सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध की केस डायरी प्राप्त ।</p> <p>इसी समय फरियादी/अनावेदक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जमानत आवेदनपत्र पर आपत्ति पेश की, नकल आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान के विद्वान अधिवक्ता को दी गयी । उन्होंने लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए मौखिक विरोध किया ।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं को आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर</p>	<p>पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p> <p>पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>



सुना गया ।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान के प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में बंटी खां का शपथपत्र पेश किया है। इसलिये आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान के प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।

आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान का कहना है कि पुलिस ने उसको झूठा फंसाया है, वह करैरा में अपने पति के साथ निवास करती है, गोहद में निवास नहीं करती है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया । उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। उससे कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है, वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगी तथा वह जमानत की शर्तों का पालन करेगी, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया ।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगी, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

आपत्तिकर्ता रामकुमार की ओर से आपत्ति में लेख किया गया है कि घटना दिनांक की दरम्यानी रात को आरोपियों द्वारा उसके माता पिता मरणासन्न हालत में छोड़कर सोने चांदी एवं नगदी की लूट की घटना को अंजाम देकर आवेदिका का सामान सुपुर्द किया है इससे वह अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त रही है उससे जेवरातों की जब्ती हुई है, उसका अपराध जघन्य श्रेणी का है, ऐसी स्थिति में उसका जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत केस डायरी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है फरियादी रामकुमार गुप्ता ने थाना पर देहाती नालिसी इस आशय की लेख करायी कि-“दि0-24/12/2016 को शमा करीब 04:30 बजे गोहद से अपने बच्चों के पास

पो. सी. आ. 1  
विशेष न्यायाधीश (उपस्थित)  
गोहद जिला- मिण्ड (म. र.)



# Order Sheet [Contd]

II-156  
C.J.(B)

Case No. 8 of 2017 मुम्बई

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>ग्वालियर चला गया था उसके माता पिता गोहद के घर में रहते हैं, सुबह करीब 7 बजे उसके घर के सामने रहने वाले गिराज गुप्ता ने मोबाइल फोन से बताया कि माताजी, पिताजी के सिर में काफी चोट होकर घायल हैं तथा घर का सामान बिखरा पड़ा है, जल्दी आ जाओ तो फरियादी तुरंत ही ग्वालियर से घर पर आया ओर घर का सामान देखा तो सब बिखरा पड़ा था, सोने चांदी के कीमती जेवरात तथा जगदी गायब थे, माताजी, पिताजी घायल होने से लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिये थे, जहां रैफर होकर इलाज के लिए ग्वालियर चले गये हैं, फरियादी ने सामान चैक किया तो उसकी जानकारी अनुसार घर में रखे सोने के सीतारानी हार, तीन मंगलसूत्र, दो सोने की जंजीर, चार सोने की अंगूठियां, 12 हाथ का कंगन एक, तथा नीचे ऑफिस एवं दुकान की नगदी करीब डेढ़ लाख रुपये व उसकी मां की अलमारी में रखी नगदी करीब पचास हजार रुपये रेजगारी करीब 8-10 हजार रुपये तथा घर में रखे चांदी के जेवरात तोड़ियां, बिछिया आदि करीब एक किलो बजनी, चोरी गये सोने जेवरात का बजन करीब 45 तोला है, चोरी गये सामान की कीमत करीब 15 लाख रुपये है, उसके पिताजी ने बताया कि बदमाशों ने उनकी मारपीट की थी, मजबूत कद काठी के तथा चेहरे पर कपड़ा बंधा था, स्थानीय भाषा बोल रहे थे।</p> <p>उक्त आशय की देहाती नालिसी अपराध क्र.-0/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि० व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत निरीक्षक आशाराम गौतम ने लेख की, जिसपर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक-376/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि० व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी।</p> <p>विवेचना के दौरान आरोपी शकील खां के मेमोरेण्डम मुताबिक उसने लूटा सामान अपनी मां आरोपिया/आवेदिका हज्जोबाई, अपनी पत्नी शबनम एवं अपनी प्रेमिका श्रीमती प्रीति बघेल को दे देना बताया था, जिसपर से आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान से लूटे गये जेवरात जब्त हुए हैं। जहां तक आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई को झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान के</p>	

विशेष न्यायाधीश (उद्वेग)  
गोहद जिला- भिण्ड (अ.प्र.)



विरुद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः आरोपी/आवेदक आरोपिया/आवेदिका श्रीमती हज्जोबाई पत्नी मेहरबान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. वाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना **निरस्त किया जाता हैं ।**

आदेश की प्रति बण्डल प्रकरण में संलग्न की जाये ।

इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

{पी0सी0 आर्य}

विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.